

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 76]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 21, 2014/फाल्गुन 2, 1935

No. 76]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 21, 2014/PHALGUNA 2, 1935

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2014

सा.का.नि.102(अ). — केन्द्रीय सरकार, सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 (2011 का 11) की धारा 24 की उपधारा (2) के खंड (घ) और खंड (ङ) के साथ पाठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :— (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम “कयर बोर्ड की हीरक जयंती” के अवसर पर स्मरणोत्सव मनाने के लिए साठ रुपये और दस रुपये के सिक्कों का निर्माण नियम, 2014 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. अंकित मूल्य, विमाण आदि (i) “कयर बोर्ड की हीरक जयंती” के अवसर पर स्मरणोत्सव मनाने के लिए केन्द्रीय सरकार के प्राधिकार के अधीन जारी करने के लिए एकसाल में निम्नलिखित अंकित मूल्य के सिक्कों का निर्माण किया जाएगा, अर्थात् :—

(i) साठ रुपये ;

(ii) दस रुपये ;

(ii) उपरोक्त अंकित मूल्य के सिक्के निम्नलिखित विमाओं, डिजाइन और संघटन के अनुरूप होंगे, अर्थात् :—

सिक्के का अंकित मूल्य (1)	आकृति और बाह्य व्यास (2)	क्रकचनों की संख्या (3)	धातु संघटन (4)
साठ रुपये	वृत्ताकार 44 मिलीमीटर	200	चतुष्क मिश्रातु रजत - 50 % तांबा - 40 % निकल - 5% जस्ता- 5%
दस रुपये	वृत्ताकार 27 मिलीमीटर (द्विधात्विक)	शून्य	बाह्य बलय (एल्यूमिनियम और कांस्य) तांबा - 92% एल्यूमिनियम- 6% निकल - 2% केन्द्रीय भाग (तांबा निकेल) तांबा - 75% निकल - 25%

डिजाइन

1. साठ रुपये

मुख भाग

सिक्के के मुख भाग पर मध्य में अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष होगा जिसके नीचे “सत्यमेव जयते” इबारत लिखी होगी, उसकी बाईं परिधि पर देवनागरी लिपि में “भारत” शब्द और दाईं परिधि पर अंग्रेजी में “INDIA” शब्द होगा। सिंह शीर्ष के नीचे रुपया का प्रतीक “₹” और अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य “60” भी होगा।

पृष्ठ भाग

सिक्के के इस भाग पर मध्य में, “COIR BOARD” का लोगो होगा जिसके साथ लोगो के ऊपर अंग्रेजी में “DIAMOND JUBILEE” लेख और लोगो के नीचे “1953-2013” लिखा होगा। लोगो और पूर्वोक्त वर्णित शब्दों को कयर रस्सी के डिजाइन में घेरा जाएगा। परिधि पर देवनागरी में, “कयर बोर्ड के 60 वर्ष” और निचली परिधि पर अंग्रेजी में “60 YEARS OF COIR BOARD” लिखा होगा।

2. दस रुपये

मुख भाग

सिक्के के मुख भाग पर मध्य में अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष होगा जिसके नीचे “सत्यमेव जयते” इबारत लिखी होगी, उसकी बाईं परिधि पर देवनागरी में “भारत” शब्द और दाईं परिधि पर अंग्रेजी में “INDIA” शब्द होगा। सिंह शीर्ष के नीचे रुपया का प्रतीक “₹” और अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य “10” भी होगा।

पृष्ठ भाग

सिक्के के इस भाग पर मध्य में, “**COIR BOARD**” का लोगो होगा जिसके साथ लोगो के ऊपर अंग्रेजी में “**DIAMOND JUBILEE**” लेख और लोगो के नीचे “**1953-2013**” लिखा होगा। लोगो और पूर्वोक्त वर्णित शब्दों को कयर रस्सी के डिजाइन में घेरा जाएगा। परिधि पर देवनागरी में, “कयर बोर्ड के 60 वर्ष” और निचली परिधि पर अंग्रेजी में “**60 YEARS OF COIR BOARD**” लिखा होगा।

3. मानक वजन तथा अनुज्ञात उपचार :- “कयर बोर्ड के 60 वर्ष” के अवसर पर स्मरणोत्सव मनाने के लिए निम्नलिखित अंकित मूल्य के सिक्कों का मानक वजन और अनुज्ञात उपचार नीचे दी गई सारणी में यथाविनिर्दिष्ट रूप में होगा, अर्थात् :-

सारणी

अंकित मूल्य	मानक वजन	अनुज्ञात उपचार	
		संघटन में	मानक वजन में
(1)	(2)	(3)	(4)
साठ रुपए	35 ग्राम	रजत के लिए 1/500 तक कम या ज्यादा अर्थात् रजत की अंतर्वस्तु प्रति एक हजार में 498 से 502 तक हो सकेगी	1/100 तक कम या ज्यादा अर्थात् वजन 34.65 ग्राम से 35.35 ग्राम तक अंतर हो सकता है।
दस रुपए	7.71 ग्राम (बाह्य वलय, 4.45 ग्राम और केन्द्रीय भाग 3.26 ग्राम)	बाह्य वलय (एल्युमीनियम कांस्य) एल्युमीनियम - 5.5 से 6.5, निकल - 1.75 से 2.25 और शेष तांबा है। केन्द्रीय भाग - (तांबा निकल) तांबा और निकल दोनों के लिए 1 तक कम या ज्यादा, अर्थात् तांबा 74 से 76 तक और निकल 24 से 26 तक हो सकेगा।	2.5 तक कम या ज्यादा अर्थात् वजन में 7.52 ग्राम से 7.90 ग्राम तक अंतर हो सकता है।

[फा. सं. 02/15/2013-सिक्का]

पंकज गुप्ता, अवर सचिव (एसपीएमसी और सिक्का)

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Economic Affairs)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th February, 2014

G.S.R. 102 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (d) and clause (e) of sub-section (2) of section 24 of the Coinage Act, 2011 (11 of 2011), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.** – (i) These rules may be called “The coinage of Sixty Rupees and Ten Rupees coins to commemorate the occasion of **Diamond Jubilee of Coir Board**, Rules, 2014”.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Denominations, Dimensions etc.**—(i) The Coins of the following denominations shall be coined at the Mint for issue under the authority of the Central Government to commemorate the occasion of “**Diamond Jubilee of Coir Board**”, namely:—

(i) Sixty Rupees;

(ii) Ten Rupees.

(ii) The coins of the above denominations shall conform to the following dimensions, designs and composition, namely:—

Denomination of the coin	Shape and outside diameter	Number of serrations	Metal composition
(1)	(2)	(3)	(4)
Sixty Rupees	Circular 44 millimeters	200	Quaternary Alloy Silver - 50 per cent. Copper - 40 per cent. Nickel - 5 per cent. Zinc - 5 per cent.
Ten Rupees	Circular 27 millimeters (Bi-metallic)	Nil	Outer Ring (Aluminum Bronze) Copper - 92 per cent. Aluminium - 6 per cent. Nickel - 2 per cent. Center Piece (Cupro Nickel) Copper - 75 per cent. Nickel - 25 per cent.

DESIGN

2. Sixty Rupees

Obverse

The face of the coin shall bear the Lion Capital of Ashoka Pillar in the centre with the legend “सत्यमेव जयते” inscribed below, flanked on the left periphery with the word “भारत” in Devnagri script and on the right periphery flanked with the word “INDIA” in English. It shall also bear the rupee symbol “₹” and the denominational value “60” in international numerals below the Lion Capital.

Reverse

The face of the coin shall bear the logo of “Coir Board” in the centre, with the inscription “**DIAMOND JUBILEE**” in English above the logo and the year “**1953-2013**” shall be inscribed below the logo. The logo and the words mentioned above are encircled in design of coir rope. The words “कयर बोर्ड के 60 वर्ष” in Devnagri shall be flanked on upper periphery and “**60 YEARS OF COIR BOARD**” in English on the lower periphery.

3. Ten Rupees**Obverse**

The face of the coin shall bear the Lion Capital of Ashoka Pillar in the centre with the legend “सत्यमेव जयते” inscribed below, flanked on the left periphery with the word “भारत” in Devnagri script and on the right periphery flanked with the word “INDIA” in English. It shall also bear the rupee symbol “₹” and denominational value “10” in International numerals below the Lion Capital.

Reverse

The face of the coin shall bear the logo of “Coir Board” in the centre, with inscription “DIAMOND JUBILEE” in English above the logo and the year “1953-2013” shall be inscribed below the logo. The logo and the words mentioned above are encircled in design of coir rope. The words “कयर बोर्ड के 60 वर्ष” in Devnagri shall be flanked on upper periphery and “60 YEARS OF COIR BOARD” in English on the lower periphery.

3. STANDARD WEIGHT AND REMEDY ALLOWED. — The standard weight of the coins of the following denominations, coined to commemorate the occasion of “60 YEARS OF COIR BOARD” and the remedy allowed in making of such coins shall be as specified in the following Table, namely: —

TABLE

Denomination of coin	Standard weight	Remedy allowed	
		In composition	In standard weight
(1)	(2)	(3)	(4)
Sixty Rupees	35 grams	1/500 th plus or minus for silver, that is to say the Silver content may vary from 498 to 502 per 1000.	1/100 th plus or minus that is to say, the weight could vary from 34.65 grams to 35.35 grams.
Ten Rupees	7.71 grams (Outer Ring 4.45 grams and Centre Piece 3.26 grams)	Outer Ring (Aluminium Bronze) Aluminium-5.5 per cent to 6.5 per cent Nickel- 1.75 per cent to 2.25 per cent and remainder are Copper. Centre Piece (Cupro-Nickel) Plus or Minus 1 per cent for both Copper and Nickel, that is to say, the Copper may vary from 74 per cent to 76 per cent and Nickel may vary from 24 percent to 26 per cent.	Plus or minus 2.5% that is to say, weight could vary from 7.52 grams to 7.90 grams.

[F. No.02/15/2013-Coin]

PANKAJ GUPTA, Under Secy. (SPMC and Coin)